मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक एफ–21/4/2015/38–2, भोपाल, दिनांक 26/05/2018

प्रति,

1. परियोजना संचालक,
   लोक निर्माण विभाग,
   परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
   निर्माण भवन, अरेरा हिल्स,
   भोपाल (म.प्र.)

2. प्रमुख अभियन्ता,
   लोक निर्माण विभाग,
   निर्माण भवन, अरेरा हिल्स,
   भोपाल (म.प्र.)

विषयः–निर्माण कार्यो के सुपरवीजन चार्ज के संबंध में।
संदर्भः–म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–21/4/2015/38–2, दिनांक 10.1.17

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवाही विवरण की कंडिका–4–1 का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। इस संबंध में दिनांक 19.12.2017 के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण कार्यो हेतु जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृतियों के संदर्भ में सुपरवीजन चार्ज उपरोक्त कंडिका 4–1 के अनुसार (नवीन कार्यो में सुपरवीजन चार्ज 3 प्रतिशत की दर से एवं पुनरीक्षित कार्यो में कोई भी सुपरवीजन चार्ज नहीं) ही लिया जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ–21/4/2015/38–2, भोपाल, दिनांक 26/05/2018

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–21/4/2015/38–2,
प्रति,

भोपाल, दिनॉक 10/01/2017

1. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

2. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग, मंत्रालय, भोपाल

4. परियोजना संचालक,
पी.आई.यू.. लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश.

5. प्रमुख सलाहाकार,
राज्य योजना आयोग,
विंध्यांचल भवन, भोपाल

6. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

7. वि.क.अ. सह आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश

8. आयुक्त,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास
मंडल, भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषयः–स्थाई वित्तीय समिति (एस.एफ.सी.) की बैठक दिनॉक 19.12.2017 का कार्यवाही विवरण।
संदर्भः–विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21–4/2015/38–2, भोपाल, दिनॉक 13/12/2017

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनॉक 19.12.2017 को आयोजित स्थायी वित्तीय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

क्रमांक एफ–21/4/2015/38–2,
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनॉक 10/01/2017

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर सचिव,
म.प्र. शासन. उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
निर्माण कार्यों के संबंध में स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 19.12.2017 का
कार्यवाही विवरण

दिनांक 19.12.2017 को कक्ष कमांक–64 में स्थायी वित्तीय समिति (एस.एफ.सी.) की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें परिशिष्ठ–6– पर संलग्न अनुसार अधिकारी उपस्थिति हुए एवं प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

1. विगत 05 वर्षो का आवंटन विरूद्ध व्यय– (राशि रू. लाख में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
प्राप्त आवंटन	3000.00	2500.00	6600.00	6884.00	11000.00
व्यय	991.46	1710.05	6415.00	6311.00	2200.00

2. **मत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के निर्माण कार्यो के लिए कुल राशि रू. 489.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है:–**

3. 1. शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यो को संपादन करने हेतु हेतु लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मॉग अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल राशि रू 1604.35 लाख की देयता है।
   2. शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यो को संपादन करने हेतु हेतु लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. द्वारा अतिरिक्त मॉग अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल राशि रूपये 10398.00 लाख की देयता है।
4. स्थायी वित्तीय समिति द्वारा कुल राशि रू. 11278.89 लाख के प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क.	निर्माण कार्यो का प्रकार	स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि रूपये लाख में
1.	विधान सभा अश्वासन ध्यानाकर्षण के प्रकरण	07	2206.14
2.	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रकरण	02	1425.80
3.	नवीन भवनों के निर्माण के प्रकरण	11	7217.99
4.	बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य के प्रकरण	02	90.47
5.	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव	05	338.49
	योग	27	11278.89

उपरोक्त प्रस्तावों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट–1,2,3,4,एवं 5 पर संलग्न है।

निम्न महाविद्यालयों के प्रस्तावों पर स्थायी वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः समिति में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. [redacted]
2. निर्माण एजेंसी का चुनाव आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
3. एस.एफ.सी.के एजेण्डा कमांक– 32 पर अंकित शा. स्वामी विवेकानंद महा. सारंगपुर (राजगढ़) में स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण, कमांक–58 शासकीय महाविद्यालय, गुढ़ (रीवा)स्टेडियम निर्माण का पुनरीक्षित प्रस्ताव, एवं क.–65 पर अंकित शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी के पुनरीक्षित प्रस्तावों को समिति द्वारा अमान्य किया गया है।

4. एजेण्डा के कमांक– 64 शा. महा. तेदुखेड़ा (नरसिंहपुर), 67 शा. महा. खैरलॉजी (बालाघाट) एवं 68 पर अंकित शा. महा. तिरौड़ी के भवन निर्माण हेतु पूर्व में कमशः स्वीकृत की गई राशि रू. 133.18 लाख से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जावें। साथ ही आवश्यकतानुसार नये कार्यो हेतु पृथक से नया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

5. एजेंडा के कमांक–8शासकीय महाविद्यालय, टोंकखुर्द जिला देवास के भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव में मूलराशि से दुगने से अधिक का प्रस्ताव है। अतः निर्णय अनुसार पुनरीक्षित के स्थान पर नया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

6. एजेंडा के कमांक 59 पर अंकित शा. महा. अमानगंज एवं कमांक–66 पर अंकिल शासकीय विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, मुरार ग्वालियर के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर पी.आई.यू.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र पर वृद्धि का आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

7. एजेंडा के कमांक–16 पर अंकित शा. महा. बाबई जिला होशंगाबाद के भवन निर्माण के संबंध में पुराने भवन की वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

8. एजेंडा सूची के क. 18 से 30 पर अंकित बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के प्रस्तावों के संबंध में पी.आई.यू.द्वारा अन्य विभागों के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

9. एजेंडा के अन्य निर्माण कार्यो में क. 31 पर अंकित शा. महा.मनावर जिला धार में मूल आवश्यकता अनुसार 500 सीटर ऑडिटोरियम एवं अध्ययनकक्ष, प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी आदि के संबंध में महाविद्यालय से जानकारी के साथ पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें करें।

10. अन्य निर्माण के प्रस्तावों में एजेंण्डा कमांक–33 से 56 तक के प्रस्तावों को पुनः आगामी एस.एफ.सी.में प्रस्तुत करें।

11. उपरोक्त स्वीकृत जिन–जिन प्रस्तावों में समिति द्वारा परिवर्तन/परिवर्धन किया गया है, उनके लोक निर्माण विभाग/पी.आई.यू.लोक निर्माण विभाग से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

(बी.आर.नायडू)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव(वित्त)
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(यशवंत कुमार)
सलाहकार
राज्य योजना आयोग
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

(नीरज मंडलोई)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–
सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.
भोपाल

(अभ्युकृत तिवारी)
उप सचिव
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
भोपाल